(105)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

चन्द्रवीर बनाम TDR

किस्म मुकदमा धारा 251 (अ) प्रकरण संख्या

GCMS नम्बर:– 2026/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय् इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया। पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 09 / 2026 दायर तारीख 01 / 01 / 2026

अनवान

1. चन्द्रवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
3. लक्ष्मण कंवर पत्नि गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण।
02. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक : 05/ 05/ 2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम भटखेड़ी पटवार हल्का मालका खेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 25/27 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता जो आराजी संख्या 54 किस्म गै0मु0 सड़क से विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 25 रकबा 68.6346 हैक्टेयर में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंचना बताया हैं। प्रार्थीगण एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में रास्ते के आलामात मौजूद हैं। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु, ट्रेक्टर बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की उक्त आराजीयात पर स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073–2076 ग्राम भटखेड़ी एवं नक्शा ट्रैस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 01.01.2026 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2026/479 दिनांक 11.02.2026 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2026/307 दिनांक 06.03.2026 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :- भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का माल का खेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भटखेडी के आराजी नं0 25/27 रकबा 0.4856 है0 में पहुंचने के लिए रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम भटखेडी की बिलानाम आ०नं० 25 रकबा 68.6346 है0 में से 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। जिसका रकबा 0.0200 है० बनता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया है। आ०नं० 25 ओडीआर से लगते हुऐ है। एन.एच., एस.एच व स्वीकृत खनन (संभावित) क्षेत्र से 10 कि.मी. से भी अधिक दूरी पर स्थित है। सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

ग्राम भटखेडी की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ०नं0 25 रकबा 68.6346 है0 में से रकबा 0.0200 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 1581000/- रू० प्रति है० से भूमि की मालियत 31620/-रूपये का दुगुना से 63240/- रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :-

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम भटखेंडी के आराजी नं0 25/27 रकबा 0.4856 है0 में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी संख्या 1 की ग्राम भटखेडी की बिलानाम आ०नं० 25 रकबा 68.6346 है0 में से रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम भटखेडी की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नम्बर 25 रकबा 68.6346 है0 में से रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 1581000/- रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 31620/- रू0 का दुगुना से 63240/- रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थनापत्र संख्या :– 09 / 2026 दायर तारीख 01 / 01 / 2026

क्रमांक / रीडर / 2026 / 1001 दिनांक : 05 / 05 / 2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 09 / 2026 दायर तारीख 01 / 01 / 2026 **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पालना किये जाने बाबत्।**

अनवान

1. चन्द्रवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. लक्ष्मण कंवर पत्नि गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दलसिंह का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 09 / 2026 दायर तारीख 01 / 01 / 2026 **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत् प्रकरण का निस्तारण किया गया हैं। जिनके आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही हैं।

अतः संलग्न आदेश की नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– आदेश की फोटो प्रति।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां